संयुक्त अरब अमीरात के नए वीज़ा नियम

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पर्यटकों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में काम करने और रहने की इच्छा रखने वालों को आकर्षित करने के लिये **नए वीज़ा नियमों** की घोषणा की है।

- वीज़ा एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो धार**क को कानूनी रूप से किसी देश में प्रवेश की अनुमति देता है।**

मुख्य बदलाव:

- **वीज़ा की तीन श्रेणियाँ**: एंट्री वीज़ा, ग्रीन वीज़ा और गोल्डन वीज़ा।
- पहली बार, संयुक्त अरब अमीरात ने एंट्री वीज़ा प्रस्तुत किया है जिसमें **आगंतुकों को मेज़बान या प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होती है।** एंट्री वीज़ा या पर्यटक वीज़ा अब एक या अधिक बार देश में आने के लिये उपलब्ध होगा जो पूर्व की **30 दिनों की अवधि के बजाय अब 60 दिनों के लिये वैध होगा।**
- **ग्रीन वीज़ा** एक प्रकार का नवीकरणीय-निवास वीज़ा है जो विदेशियों को संयुक्त अरब अमीरात में निवास करने या रोज़गार के बिना, पाँच वर्ष के लिये अहर्ता प्रदान करता है। यह पिछले निवास वीज़ा की जगह प्रयुक्त हुआ है जो केवल दो वर्ष के लिये वैध था।
- **गोल्डन वीज़ा** धारकों को 10 वर्ष तक के लिये **दीर्घकालिक नवीकरणीय निवास वीज़ा** प्रदान करता है। गोल्डन वीज़ा के लिये पात्र लोगों में निवेशक, उद्यमी, असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति जैसे शोधकर्त्ता, चिकित्सा पेशेवर और वैज्ञानिक एवं ज्ञान के क्षेत्र के लोग तथा उत्कृष्ट छात्र और स्नातक शामिल हैं।
  - **योग्य पेशेवर 30,000 AED (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम)** की न्यूनतम मासिक आय के साथ दीर्घकालिक निवास वीज़ प्राप्त कर सकते हैं। निवेशकों को कम-से-कम 20 लाख AED की संपत्ति खरीदने पर भी वीज़ा मिल सकता है।
- अद्यतन वीज़ा प्रणाली जीवन की **गुणवत्ता में सुधार लाने और संयुक्त अरब अमीरात में रहने, काम करने तथा निवेश करने के अनुभव को सुखद एवं खुशहाल बनाने का एक प्रयास है।**

भारतीयों को लाभ:

- **संयुक्त अरब अमीरात में** लगभग 3.5 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं जो इसकी कुल **आबादी का लगभग 30% है।**
- देश में प्रवेश और निवास करने की प्रणाली के पुनर्गठन से कार्य एवं निवेश के लिये **एक आदर्श गंतव्य के रूप में देश की छवि को और बढ़ावा मिलेगा।**
- इससे न केवल हज़ारों प्रतिभाशाली पेशेवर, संयुक्त अरब अमीरात में रोज़गार के नए अवसर तलाश पाएंगे बल्कि **पर्यटक अब सरलीकृत वीज़ा प्रणाली के साथ परेशानी-मुक्त आवागमन** का अनुभव कर सकेंगे।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uae-s-new-visa-rules